

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 157 : Protection of action taken under this Act**

- (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the President, State President, Members, officers or other employees of the Appellate Tribunal or any other person authorised by the said Appellate Tribunal for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.
  - (2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer appointed or authorised under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.
-

**धारा 157 : इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण**

- (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या इस रूप में किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।